

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०आ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 12.07.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर-उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर-सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर

डी०पी०आर० के सम्बन्ध में

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2394/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु पत्र संख्या- LC/GBN/JJM/286 Date:-10-07-2023 के माध्यम से 05 नग नई डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें 05 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 05 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० की लागत ₹० 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या- 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं० 12 के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार डी०पी०आर० में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत ₹० 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹० 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत ₹० 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत ₹० 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

मैसर्स एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (₹० करोड)	सेन्टेज (₹० करोड)	कुल लागत (₹० करोड)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (₹० करोड)	डी०पी०आर में प्रति प्रति FHTC की लागत मानक ₹० 35000 के सापेक्ष	प्रति कि०मी० की लागत मानक ₹० 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप गयी होने के कारण
1	जेवर खादर	जेवर	1	2594	647	4119	2.72	0.29	3.01	6800	42040	14.47	पाइप लाइन की लम्बाई अधिक होने, आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

नन्दगढ़	जेवर	1	1221	304	1937	1.88	0.20	2.08	9729	61842	12.52	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
मलियबाद	जेवर	1	1761	439	2792	2.24	0.24	2.48	8023	51025	14.33	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
मेहन्दीपुर												
आकलपुर	बिसरख	1	1649	411	2609	2.23	0.24	2.47	8554	54258	13.04	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
जौगीर												
रानीली	बिसरख	1	3412	851	5427	3.34	0.35	3.69	6150	39248	12.39	पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने, आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
लतीफपुर												

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विवरण के अनुसार मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 05 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों के अनुसार नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुत 05 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत ₹0 9000 से कम है, तथा डी0पी0आर0 में प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत ₹0 15.00 लाख से कम है परन्तु डी0पी0आर0 की प्रति गृह संयोजन लागत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानक ₹0 35000 से अधिक है जिस कारण से उपरोक्त डी0पी0आर0 प्रति गृह संयोजन के निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त प्रस्तुत 05 नग डी0पी0आर0 की कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर एवं डी0पी0एम0यू0, गौतमबुद्धनगर के अभियन्ताओं द्वारा विस्तृत जाँच की गई है तथा नियमानुसार प्रयास करने के उपरान्त भी उक्त डी0पी0आर0 को मानक के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका है। उपरोक्त डी0पी0आर0 की जांच जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में गठित समिति द्वारा की गई है तथा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित समस्त मानकों के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका है।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत परन्तु मानक के अनुरूप नहीं पाई गई उपरोक्त समस्त 05 नग डी0पी0आर0 को जाँच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 के देयको के सम्बन्ध में :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2427/W-314/JJM-ISA/2021-22 दिनांक 25.01.2021 के कम में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम सम्पादित करा रहे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, नोएडा के पत्रांक 1222/जे0जे0एम0/89 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु चयनित ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 को विकास खण्ड जेवर के 33 एवं विकास खण्ड बिसरख के 04 ग्राम कुल 37 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं0 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में समी कार्य/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर-1-2022-03 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि ₹0 1718640.00 का बिल जी0एस0टी0 सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयको एवं उसके अन्तर्गत कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर की संयुक्त जांच की गई। संयुक्त जांच के उपरान्त ब्लाक जेवर एवं बिसरख हेतु प्रथम फेज प्रस्तावित गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण नहीं होने के कारण कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि ₹0 1718640.00 के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत धनराशि ₹0 1386000.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। दिनांक 06.12.2022 को सम्पन्न जिला पेयजल स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 द्वारा ग्रामों में करायी गई गतिविधियों, ग्राम पंचायतों की बैठकों में दिये गये सहयोग, ग्राम की महिलाओं की बैठक तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्ल्यू0ए0सी0) के गठन आदि के सम्बन्ध में सत्यापन अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से कराने के उपरान्त सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए पुनः आगामी बैठक में जिला

MPF

✓

for 2

44

✓

✓

Aug 2

ल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर से समक्ष प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्त के कम में अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम प्रधानों से सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत बिल समस्त अभिलेखों सहित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्ष उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के देयको के सम्बन्ध में :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2427/W-314/JJM-ISA/2021-22 दिनांक 25.01.2021 के कम में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम सम्पादित करा रहे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, नोएडा के पत्रांक 1221/जे0जे0एम0/89 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु चयनित सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 को विकास खण्ड दादरी के 23 एवं विकास खण्ड बिसरख के 17 ग्राम कुल 40 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं0 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्य/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर-1-2022-03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि रू0 2313685.00 का बिल जी0एस0टी0 सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयको एवं उसके अन्तर्गत कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर की संयुक्त जांच की गई। संयुक्त जांच के उपरान्त ब्लाक दादरी एवं बिसरख हेतु प्रथम फेज प्रस्तावित गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण नहीं होने के कारण कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि रू0 2313685.00 के सापेक्ष मात्र 28 प्रतिशत धनराशि रू0 1983520.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/ग्राम प्रधानों से सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत बिल समस्त अभिलेखों सहित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्ष उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 तथा सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के उपरोक्त प्रस्तुत देयको के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्यक विचारोपरान्त देयको के भुगतान के सम्बन्ध में तथा उक्त देयको को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, गौतमबुद्धनगर को नामित किया गया।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।


अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर
सदस्य सचिव।


जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
सदस्य।


जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशासी अभियन्ता ग्राउंड वाटर,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


अधिशासी अभियन्ता सिचाई,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।


मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उपाध्यक्ष।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।